

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 13, बुधवार, शाके 1948- जून 03, 2026 Jyaistha 13, Wednesday, Saka 1948- June 03, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

परिपत्र

जयपुर, मई 21, 2026

संख्या एफ2(3)(1)श्रम/विभागीय परीक्षा/स्था./2019/ :- राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम 1959 के नियम 7 की अनुसूची 4 के अनुसार श्रम निरीक्षकों की विभागीय परीक्षा माह जुलाई-2026 में दिनांक 30.07.2026 एवं दिनांक 31.07.2026 को आयोजित की जायेगी। उक्त नियमों के नियम 8 के अनुसार इस परीक्षा में निम्नलिखित श्रेणी के श्रम निरीक्षक बैठने के पात्र होंगे।

1. ऐसे श्रम निरीक्षक जिन्होंने 01.01.2026 तक विभाग में न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली गई है लेकिन विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हुई है।

कोई भी श्रम निरीक्षक जो उक्त परीक्षा में नियमानुसार बैठ सकता है तथा उक्त परीक्षा में बैठना चाहता है तो उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपना आवेदन पत्र (संलग्न प्रपत्र) में उचित माध्यम द्वारा दिनांक 15.06.2026 तक निम्न हस्ताक्षरकर्ता को भेज दें। परीक्षा का पाठ्यक्रम विवरण संलग्न है।

पूजा पार्थ,
पंजीयक विभागीय परीक्षा,
(श्रम निरीक्षक) एवं श्रम आयुक्त,
राजस्थान जयपुर।

कार्यालय पंजीयक, विभागीय परीक्षाएं एवं श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर

विज्ञप्ति

जयपुर, मई 21, 2026

संख्या एफ2(3)(1)श्रम/विभागीय परीक्षा/स्था./2019/ :- राजस्थान सिविल सर्विसेज विभागीय परीक्षा नियम 1959 के अनुसार संबंधित श्रम निरीक्षकों को सूचित किया जाता है कि श्रम विभाग के श्रम निरीक्षकों की विभागीय परीक्षा दिनांक 30.07.2026 एवं 31.07.2026 को निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार होगी।

क्र.सं.	दिनांक	समय	प्रश्न पत्र
1	30.07.2026	10-00AM to 01-00 PM	प्रशासन(Administration)-प्रथम
2	30.07.2026	02-30PM to 5-30PM	श्रम कल्याण(Labour Welfair)- द्वितीय
3	31.07.2026	10-00AM to 01-00 PM	श्रम कानून(Labour Legislation)-तृतीय
4	31.07.2026	02-30PM to 5-30PM	हिन्दी - चतुर्थ

पूजा पार्थ,
पंजीयक विभागीय परीक्षा,
(श्रम निरीक्षक) एवं श्रम आयुक्त,
राजस्थान जयपुर।

सूची (1)

विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र नियम 9(1) देखें।

- 1 आवेदक का नाम (साफ अक्षरों में):
 - 2 पिता का नाम :
 - 3 जन्म तिथि:
 - 4 सेवा का नाम (नियुक्ति आदि परिवीक्षाधीन स्थाई/अस्थायी हों कृपया इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करें) :
 - 5 पद एवं नियुक्ति का स्थान :
 - 6 यदि विभागीय परीक्षा के नियमों के अन्तर्गत पहले कभी परीक्षा में बैठे हो तो तिथि एवं जिन प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण हो गए हो, उल्लेख करें। :
 - 7 गत परीक्षा की पंजीयन संख्या यदि कोई हो तो :
 - 8 सेवा का नाम जिसकी विभागीय परीक्षा में बैठना चाहते हैं।: राजस्थान अधीनस्थ सेवा (श्रम निरीक्षक)
 - 9 प्रश्न पत्र जिनमें बैठना चाहते हैं। (इसका स्पष्ट उल्लेख करें)
1. प्रशासन (Administration) प्रथम
 2. श्रम कल्याण (Labour Welfair)- द्वितीय
 3. श्रम कानून (Labour Legislation)- तृतीय
 4. हिन्दी - चतुर्थ, सीनियर सेकण्ड्री या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने पर छूट।

आवेदक के हस्ताक्षर एवं

पद.....

पूरा पता.....

हस्ताक्षर प्रमाणित किए जाकर आवेदन पत्र पंजीयक विभागीय परीक्षा (श्रम निरीक्षक) एवं श्रम आयुक्त राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आवेदक के उच्च अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं पद

नोट:- आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश पीछे दिये गये हैं। जिस प्रश्न पत्र में छूट चाहे उसके बारे में क्रम संख्या 9 में उसका स्पष्ट उल्लेख करें।

कार्यालय पंजीयक, विभागीय परीक्षाएं एवं श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:एफ2(3)(1)श्रम/विभागीय परीक्षा/स्था./2019/ जयपुर, दिनांक:

क्रम संख्या..... पंजीयन संख्या.....

श्री..... प्रशिक्षु श्रम निरीक्षक को विभागीय परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है। जो कि दिनांक 30.07.2026 एवं 31.07.2026 को कार्यालय श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर में होगी। उनकी पंजीयन संख्या उपर अंकित की गयी है भविष्य में पत्र व्यवहार करते समय इसका उल्लेख करना आवश्यक है।

(पूजा पार्थ)

पंजीयक विभागीय परीक्षा
(श्रम निरीक्षक) एवं श्रम आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश:-

1. आवेदन पत्र प्रार्थी को स्वयं अपने हाथ से स्याही से भराना चाहिए।
2. अपना नियुक्ति स्थान पूर्ण स्पष्ट लिखे जिससे रोल नम्बर प्राप्त होने में विलम्ब ना हो।
3. उच्च अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रेषित करने से पूर्व उसमें की गयी पूर्तियों की सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए।
4. हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में पुरा नाम लिखना चाहिए।
5. पंजीयन विभागीय परीक्षा से प्राप्त रोल नम्बर स्लिप नोट संभाल कर रखने चाहिए। इसे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए परीक्षा अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
6. परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र तथा उत्तर पुस्तिका दी जायेगी अन्य लेखन सामग्री उन्हें स्वयं को लानी होगी।
7. जिन प्रश्न पत्रों के नियम आदेश आदि के उपयोग की छूट है उनमें केवल वहीं नियम, आदेश लाने की इजाजत होगी। जिसके साथ टिप्पणी नहीं होगी।
8. आवेदन पत्र क्रम संख्या 4 के सामने स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि वह विभागीय परीक्षा 08 के किस प्रावधान के अनुसार विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र है।

9. जिन प्रश्न पत्रों से छूट चाही है उनके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ भेजें। जैसे हिन्दी प्रश्न पत्र से छूट चाहने के लिए सीनियर सकेण्ड्री एवं समकक्ष परीक्षा में हिन्दी विषय सहित उत्तीर्ण कर लेने के परीक्षा प्रमाण पत्र/अंक तालिका की सत्य प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ भेजें।
10. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

**THE SYLLABUS FOR DEPARTMENTAL EXAMINATION FOR LABOUR
INSPECTORS OF THE
LABOUR DEPARTMENT**

Maximum marks 100

Time 3 hours

Paper-I Administration

1. Rajasthan service rules
2. Rajasthan classification control and appeal rules
3. Knowledge of the office procedure and preparation of confidential reports
4. General financial and accounts rule chapter 1 to 12, 14 and 18 and Schedule of powers of the Head of the Department and different Gazetted officer under him
5. Travelling Allowance rules
6. Treasury Manual.

Maximum Marks 100

Time 3 hour

Paper II : Labour Welfare

1. Silent feature of Housing Scheme of the Government of India with special reference to Subsidies Industrial Housing Scheme.
2. Rajasthan Industrial Housing Allotment Rules.
3. Administration and progress of industrial housing in Rajasthan .
4. Provision of labour welfare in different labour enactments.
5. Administration and progress of labour welfare activities in Rajasthan.
6. Study of Departmental Labour Welfare Manual

Maximum Marks 100

Time 3 hour

Paper III Labour Legislation

1. Industrial Disputes Act 1947
2. Industrial Employment (Standing Orders) Act 1946.
3. Trade Union Act 1926.
4. Minimum Wages Act 1948
5. Employees Compensation Act 1923.

Note:- These acts may be studied together with rules made there-under either by the Central Government or the Rajasthan Government as applicable in Rajasthan.

Minimum Pass Marks 40% in each paper and 40% in aggregate.

Books recommended

1. All Central and Rajasthan Labour acts and rules made there-under.
2. Indian Labour Code.
3. Indian Labour year books (Labour Bureau)

Books permitted at the time of departmental examination

Paper-I A. Rajasthan Civil Service Rules.

B. General Financial And Accounts Rules without commentary

Paper-II: A Printed Copies Of The Subsidies Industrial Housing Scheme And Labour Welfare
Centre Manuals

Paper-III: A copies of the bare Acts (labour laws)

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।